स्नातक हिन्दी प्रतिष्ठा - तृतीय खण्ड
(षष्ठ पत्र - प्रयोजनमूलक हिन्दी)

हिन्दी भाषा का मानकीकरण

भाषा शब्द संस्कृत की 'भाष्' धातु से बना है, जिसका अर्थ है, व्यक्त वाणी, बोलना अथवा कहना - "भाष्यते व्यक्तवाग्रूपेण अभिव्यज्यते इति भाषा" अर्थात् व्यक्त वाणी के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति की जाती है, उसे 'भाषा' कहते हैं।

पाणिनी ने 'अष्टाध्यायी' में लिखा है - "व्यक्त वाचां समुच्चारणे इति भाषा," अर्थात् सम्यक् प्रकार से उच्चरित व्यक्त वाणी को ही भाषा कहते हैं।

हिन्दी भाषा की लिपि देवनागरी है। देवनागरी में अनेक गुणों के होते हुए भी मुद्रण, टंकण, त्वरालेखन तथा वैज्ञानिकता की दृष्टि से कुछ त्रुटियाँ हैं, जो निम्नलिखित हैं-

(1) नागरी अर्ध अक्षरात्मक लिपि है, ध्वनियों का विश्लेषण कठिनाई से हो पाता है

(2) स्वरों की मात्राएँ नीचे ऊपर, दायें - बायें लगती हैं, जिससे लेखन में कठिनाई का अनुभव होता है।

(3) लिपि चिह्नों की मात्रा अधिक है, जिससे लिपि सीखने में कठिनाई होती है।

सन् 1935 में हिन्दी साहित्य सम्मेलन के इन्दौर अधिवेशन में राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के सभापतित्व में नागरी लिपि सुधार समिति बनाई गई जिसके संयोजक काका कालेलकर थे। संक्षेप इस समिति की सिफारिशें निम्नलिखित थी :-

(1) शिरोरेखा लिखने में भले ही न हो, छपाई में रहनी चाहिए।

(2) इ की मात्रा (ि) बाईं ओर ही रहे उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ की मात्राएँ और अनुस्वार चिह्न व्यंजन के बाद हटाकर अलग से लगाए जाएं।

(3) रेफ (र्) को भी अलग से व्यंजन के बाद लगाया जाए। जैसे - ध र्‍ म, स र्‍ व)

(4) सावरकर बंधुओं की सुझाई गई बारह खड़ी को स्वीकार किया जाए।

(5) विराम चिह्न (। ; , आदि) पूर्ववत् बने रहें।

(6) ध, भ में गुजराती घुंडी लगाई जाए। (ध, भ)

(7) कोई व्यंजन - संयोग नीचे ऊपर (द्व द्ध) न हों।

काका कालेलकर के कुछ सुझावों का प्रयोग महात्मा गाँधी के 'हरिजन सेवक' में किया गया।

सन 1947 में उत्तर प्रदेश सरकार ने आचार्य नरेन्द्र देव की अध्यक्षता में हिन्दी मानकीकरण की योजना प्रस्तुत की।

Scanned with CamScanner